

IS 15700:2005



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-चतुर्थ
नीलगिरी काम्प्लैक्स द्वितीय तल,
इन्दिरा नगर, लखनऊ



पत्रांक: 1872 / नि0प्र067/2017

स्वीकृति पत्र

दिनांक: 30/6/2017 2017.

सेवा में,

श्री/श्रीमती विजयशंकर शुक्ला
19/843 इंडियन
लखनऊ

महोदय,

भवन/भूखण्ड सं0/खसस सं0 19/755 योजना इंडियन नगर, लखनऊ निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 14/6/17 के क्रम में नि0प्र0 रजिस्टर सं0 160 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि 30/6/2017 से 30/6/2022 तक पाँच वर्ष की होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर प्रथम बार निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावधि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
6. यह स्वीकृति केवल बेसमेंट /भूतल /प्रथम तल /द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 495.63 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए..... वर्ग मी0 भूखण्ड में प्रदान की गई है।
7. यदि इस भूखण्ड/भवन हेतु कोई पूर्व में कोई मानचित्र स्वीकृत हो तो एतद्वारा उसे निरस्त किया जाता है।
8. 300 वर्ग मी0 से ऊपर के भूखण्डों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
9. भूकम्परोधी शा0सं0 570-9-आर0-1-2001(आ0ब0)दिनांक 3.2.2001 एवं 375/9-आर0-1 भूकम्परोधी/2001 आवास अनुभाग-1 दिनांक 20.7.2001 के अंतर्गत शर्तों सेट के एक स्वीकृत मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्या की गई है, जिसका अनुसरण करना होगा।
10. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र डॉचागत (स्ट्रक्चरल) प्राविधानों के अंतर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है।
11. यह स्वीकृति सभी तलों पर कुल.....नग आवासीय इकाईयों हेतु प्लान की जा रही है।
12. बेसमेंट का निर्माण निर्धारित सेटबैक एवं अगल बगल की सम्पत्तियों 2मी0 छोड़कर केवल आवासीय भण्डारण हेतु किया जाएगा।
13. यह स्वीकृति भवन/भूखण्ड सं0 19/755 पर केवल आवासीय प्रयोजन हेतु दी जा रही है।
14. 300 वर्ग मी0 से ऊपर के भूखण्डों में भवन के उपयोग से पूर्व नियमानुसार परिषद से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उक्त क्रमांक 12 से 14 तक अंकित शर्तों का पालन न किए जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

पत्रांक: 1872 3017

प्रतिलिपि-1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड 03 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद इंदिरा नगर, लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद इंदिरा नगर, लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं0 5 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी/वास्तुविद नियोजक
दिनांक 30/6/2017

विशेष कार्याधिकारी/वास्तुविद नियोजक

Signature & Seal
design received

Signature & Seal
30/6/17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी शिया कुमारी श्रीवास्तव
सी-131/ इन्दिरा नगर

पत्रांक 2134-

नि० प्र० 74/2017

दिनांक 25-7-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 1131 योजना इन्दिरा नगर नगर लखनऊ
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 24.7.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 118
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 25-7-2017 से 24-7-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ हेतु 154.49 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 138.92 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 02 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

25/7/17

पृ० सं० 2134-
प्रतिलिपि :-

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
/उपरोक्त शिया तददिनांक 25-7-2017

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 02 इन्दिरा नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इन्दिरा नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25/7/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
21/7/2017



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती सुनील देवी
भवन संख्या - 19/409 इडिशमगर
लखनऊ

पत्रांक 2822

नि० प्रा० 96/2017

दिनांक 25-9-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खण्ड संख्या 19/409 योजना इडिशमगर नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 15/9/2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 159

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 25-9-2017 से 25-9-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ हेतु 3870 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये, 41.83 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-03 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

25/9/17

पृ० सं० 2822

25/9/17
/उपरोक्त

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

तददिनांक 25-9-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 03 को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इडिशमगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25/9/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



सेवात्मक प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-चतुर्थ
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल,
इन्दिरा नगर, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो
Bureau of Indian Standards

SOMES

पत्रांक: 2923

/नि0प्र0 97/2017

दिनांक: 9/10/2017

स्वीकृति पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती श्री० अशोक शहमद पुत्र श्री अनीस
निवासी - 258/70 भादान भवन
25, कावठ

महोदय,

भवन/भूखण्ड सं0/खसरा सं0 57/11/12 योजना इन्द्रिका नगर 57/12 निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 21/9/17 के क्रम में नि0प्र0 रजिस्टर सं0 163 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिए गए तथ्य /जॉनकारी को गलत पाए जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 9/10/2017 से 8/10/2022 तक) पाँच वर्ष की होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किए गए संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड 02 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद इन्द्रिका को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावधि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
6. यह स्वीकृति केवल स्टिल्ट/भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल तथा ममटी हेतु 550.46 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए 44.82 वर्ग मी0 के भूखण्ड में प्रदान की गई है।
7. यदि इस भूखण्ड/भवन हेतु कोई पूर्व में कोई मानचित्र स्वीकृत हो तो एतद्वारा उसे निरस्त किया जाता है।
8. यह स्वीकृति स्टिल्ट सहित प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल व ममटी के निर्माण हेतु 550.46 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के लिए प्रदान की जाती है।
9. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र ढाँचागत (स्ट्रक्चरल) प्राविधानों के अंतर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है।
10. यह स्वीकृति सभी तलों पर कुल 03 नग आवासीय इकाईयों हेतु प्रदान की जा रही है।
11. स्टिल्ट का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जाएगा।
12. यह स्वीकृति भवन/भूखण्ड सं0 57/11/12 पर केवल आवासीय प्रयोजन हेतु दी जा रही है।
13. भवन के उपयोग से पूर्व नियमानुसार परिषद से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
14. 300 वर्ग मी0 से ऊपर के भूखण्डों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
15. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा तथा स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. भूकम्परोधी शा0 सं0 570-9-आर0-1-2001 (आ0ब0) दिनांक 3.2.2001 एवं 375/9-आर0-1 भूकम्परोधी/2001 आवास अनुभाग-1 दिनांक 20.7.2001 के अंतर्गत शर्तों सेट के एक स्वीकृत मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चर्या की गई है, जिसका अनुसरण करना होगा।
17. समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे।

9/10/17

9/10/2017 विशेष कार्याधिकारी/वास्तुविद नियोजक

पत्रांक: 2923/उक्त

प्रतिलिपि-1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड 02 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद इन्द्रिका को स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद इन्द्रिका को उपरोक्त शर्त सं0 5 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9/10/17 विशेष कार्याधिकारी/वास्तुविद नियोजक

9/10/17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-चतुर्थ
नीलगिरी काम्पलैक्स द्वितीय तल,
इन्दिरा नगर, लखनऊ



पत्रांक: 2923

/नि0प्र0 97/2017

दिनांक: 9/10/2017

स्वीकृति पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती श्री० अशोक शहमद पुत्र श्री अनीस
निवासी - 258/70 भादान भवन
25, कावठ

महोदय,

भवन/भूखण्ड सं0/खसरा सं0 57/11/25 योजना इन्द्रिका नगर 57/25 निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 21/9/17 के क्रम में नि0प्र0 रजिस्टर सं0 163 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिए गए तथ्य /जॉनकारी को गलत पाए जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 9/10/2017 से 8/10/2022 तक) पाँच वर्ष की होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किए गए संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड 02 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद इन्द्रिका को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावधि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
6. यह स्वीकृति केवल स्टिल्ट/भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल तथा ममटी हेतु 550.46 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए 44.82 वर्ग मी0 के भूखण्ड में प्रदान की गई है।
7. यदि इस भूखण्ड/भवन हेतु कोई पूर्व में कोई मानचित्र स्वीकृत हो तो एतद्वारा उसे निरस्त किया जाता है।
8. यह स्वीकृति स्टिल्ट सहित प्रथम तल, द्वितीय तल, तृतीय तल व ममटी के निर्माण हेतु 550.46 वर्ग मी0 क्षेत्रफल के लिए प्रदान की जाती है।
9. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र ढाँचागत (स्ट्रक्चरल) प्राविधानों के अंतर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है।
10. यह स्वीकृति सभी तलों पर कुल 03 नग आवासीय इकाईयों हेतु प्रदान की जा रही है।
11. स्टिल्ट का उपयोग केवल पार्किंग हेतु किया जाएगा।
12. यह स्वीकृति भवन/भूखण्ड सं0 57/11/25 पर केवल आवासीय प्रयोजन हेतु दी जा रही है।
13. भवन के उपयोग से पूर्व नियमानुसार परिषद से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
14. 300 वर्ग मी0 से ऊपर के भूखण्डों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
15. शासनादेश के अनुसार वृक्षारोपण का प्राविधान करना होगा तथा स्थल पर रोपित वृक्षों के रखरखाव व उनके जीवित रहने हेतु व्यवस्था आवंटी द्वारा सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
16. भूकम्परोधी शा0 सं0 570-9-आर0-1-2001 (आ0ब0) दिनांक 3.2.2001 एवं 375/9-आर0-1 भूकम्परोधी/2001 आवास अनुभाग-1 दिनांक 20.7.2001 के अंतर्गत शर्तों सेट के एक स्वीकृत मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चर्या की गई है, जिसका अनुसरण करना होगा।
17. समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे।

9/10/17

9/10/2017 विशेष कार्याधिकारी/वास्तुविद नियोजक

पत्रांक: 2923/उक्त

दिनांक: 9/10/2017

प्रतिलिपि-1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड 02 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद इन्द्रिका को स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद इन्द्रिका को उपरोक्त शर्त सं0 5 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

9/10/17

विशेष कार्याधिकारी/वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी श्रीमती सुनील देवी
भवन संख्या - 19/409 इडिशागर
लखनऊ

पत्रांक 2822

नि० प्रा० 96/2017

दिनांक 25-9-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खण्ड संख्या 19/409 योजना इडिशागर नगर लखनऊ

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 15/9/2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 159

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 25-9-2017 से 25-9-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ हेतु 3870 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये, 41.83 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-03 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

25/9/17

पृ० सं० 2822

25/9/17
/उपरोक्त

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

तददिनांक 25-9-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 03 को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, इडिशागर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25/9/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई.....

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी.....योगिता आशुवाल
.....खण्ड संख्या-12/83.....दिनांक-12
.....विज्ञान नगर, लखनऊ.....

पत्रांक 2288 -

नि० प्रा० 81/2017

दिनांक-1-8-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खण्ड संख्या.....12/83..... योजना.....विज्ञान नगर..... नगर.....लखनऊ.....
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक.....25/07/2017.....के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या.....132.....
.....के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 1-8-2017 से 31-7-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनो सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति ~~1622~~ प्रथम तल, ~~1622~~ तथा ममटी हेतु 109.70 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये, 1622 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-13 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

11/8/17

पृ० सं० 2288
प्रतिलिपि :-

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
/उपरोक्त 11/8/17 तददिनांक 1-8-2017

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 13 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय विज्ञान नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11/8/17

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
11/8/17



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी शिया कुमारी श्रीवास्तव
सी-131/ इन्दिरा नगर

पत्रांक 2134-

नि० प्र० 74/2017

दिनांक 25-7-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 1131 योजना इन्दिरा नगर नगर लखनऊ
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 24.7.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 118
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 25-7-2017 से 24-7-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ~~द्वितीय तल~~ हेतु 154.49 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 138.92 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 02 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

25/7/17

पृ० सं० 2134-
प्रतिलिपि :-

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
/उपरोक्त शिया तददिनांक 25-7-2017

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 02 इन्दिरा नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इन्दिरा नगर उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

25/7/17


विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक
21/7/2017

IS 15700:2005



सेवात्मक प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-चतुर्थ
नीलगिरी काम्प्लैक्स द्वितीय तल,
इन्दिरा नगर, लखनऊ



पत्रांक: 1872 / नि0प्र067/2017

स्वीकृति पत्र

दिनांक: 30/6/2017

सेवा में,

श्री/श्रीमती विजयशंकर शुक्ला
19/843 इंडियन
लाइनर

महोदय,

भवन/भूखण्ड सं0/खसस सं0 19/755 योजना इंडियन नगर, लखनऊ निर्माण करने संबंधी आपके आवेदन पत्र दिनांक 14/6/17 के क्रम में नि0प्र0 रजिस्टर सं0 160 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि 30/6/2017 से 30/6/2022 तक पाँच वर्ष की होगी।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. भूखण्ड पर प्रथम बार निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावृद्धि प्रमाणक प्राप्त कर लिया जाये।
6. यह स्वीकृति केवल बेसमेंट /भूतल /प्रथम तल /द्वितीय तल तथा ममटी हेतु 495.63 वर्ग मी0 निर्माण क्षेत्रफल के लिए..... वर्ग मी0 भूखण्ड में प्रदान की गई है।
7. यदि इस भूखण्ड/भवन हेतु कोई पूर्व में कोई मानचित्र स्वीकृत हो तो एतद्वारा उसे निरस्त किया जाता है।
8. 300 वर्ग मी0 से ऊपर के भूखण्डों में रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
9. भूकम्परोधी शा0सं0 570-9-आर0-1-2001(आ0ब0)दिनांक 3.2.2001 एवं 375/9-आर0-1 भूकम्परोधी/2001 आवास अनुभाग-1 दिनांक 20.7.2001 के अंतर्गत शर्तों सेट के एक स्वीकृत मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गई है, जिसका अनुसरण करना होगा।
10. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र डॉचागत (स्ट्रक्चरल) प्राविधानों के अंतर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है।
11. यह स्वीकृति सभी तलों पर कुल.....नग आवासीय इकाईयों हेतु प्लान की जा रही है।
12. बेसमेंट का निर्माण निर्धारित सेटबैक एवं अगल बगल की सम्पत्तियों 2मी0 छोड़कर केवल आवासीय भण्डारण हेतु किया जाएगा।
13. यह स्वीकृति भवन/भूखण्ड सं0 19/755 पर केवल आवासीय प्रयोजन हेतु दी जा रही है।
14. 300 वर्ग मी0 से ऊपर के भूखण्डों में भवन के उपयोग से पूर्व नियमानुसार परिषद से पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

उक्त क्रमांक 12 से 14 तक अंकित शर्तों का पालन न किए जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा।

पत्रांक: 1872 30/6/17

प्रतिलिपि-1. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड 03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


2. सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उपरोक्त शर्त सं0 5 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Signature & Seal
design received


Signature & Seal
30/6/17

विशेष कार्याधिकारी/वास्तुविद नियोजक
दिनांक 30/6/17

विशेष कार्याधिकारी/वास्तुविद नियोजक



भारत सरकार
आवास एवं शहरी विकास विभाग
राजधानी क्षेत्र, नई दिल्ली
आवास एवं शहरी विकास



पत्रांक - 4469

दिनांक 02/12/2016

दिनांक 02/12/2016

(आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1985 के अंतर्गत कार्य करने हेतु)

स्वीकृति पत्र (प्रारंभिक चरण)
अनुमति पत्रों के निर्माण की स्वीकृति

प्रति

श्री. चारु शर्मा, विभागीय अधिकारी, आवास एवं शहरी विकास विभाग
प्लॉट - 5/2 शेक्टर 10, गजपतपुर, लखनऊ

विषय -- आवासीय भवन/म्यूकड संख्या/ 20/43 योजना इंदिरा नगर लखनऊ
अनुमति पत्रों पर निर्माण की अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

1. उपरोक्त विभागीय भवन/म्यूकड संख्या 20/43 योजना इंदिरा नगर लखनऊ पर इस कार्यवाही द्वारा निर्मित स्वीकृति पत्र संख्या 1415/नि.प्र.सं. 25/2016 दिनांक 27/11/16 के द्वारा प्रथम चरण में केवल कुल 199.86 वर्ग मी. के निर्माण हेतु सख्त स्वीकृति प्रदान की गई थी।
2. अधिसूचित अधिनियम निर्माण संख्या 3 के पत्रांक /अनुमति पत्र निर्माण विभाग के द्वारा प्राप्त ताल रिपोर्ट के अनुसार कुल का निर्माण कार्यक्रम में स्वीकृत आवासीय के अनुसार है।
3. इस के रूप में मूकड संख्या 20/43 पर द्वितीय चरण के अंतर्गत प्रथम ताल [redacted] एवं [redacted] के निर्माण हेतु कुल 161.86 वर्ग मी. स्वीकृति प्रदान की जाती है।
4. यह स्वीकृति कुल 161.86 वर्ग मी. निर्माण क्षेत्रफल के लिए 942.00 वर्ग मी. म्यूकड में प्रदान की गई है।

शेष शर्तें पूर्व निर्मित स्वीकृति पत्र (प्रथम चरण) के अनुसार बंधवत् रहेंगी।

6- उक्त द्वितीय चरण की स्वीकृति संख्या 30/आवास (अ) के अधिनियम द्वारा इस कार्य के साथ ही निर्माण कार्य की शर्तें लगे हैं अतः परमादेश द्वारा स्वीकृति से निर्माण कार्य का समय अनिश्चित रूप से 02/12/16 के बाद प्रारंभ होगा।

4469

02/12/16
वास्तुविद निरीक्षक/विशेष कार्यवाहिकारी

प्रतिनिधि - निम्नलिखित को सूचना एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियंता प्रथम कृत्, 30/आवास एवं विकास परिषद, वृद्धावन, अफिस कॉम्प्लेक्स, लखनऊ।
2. अधिसूचित अधिनियम निर्माण संख्या 3 30/आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
3. सम्पत्ति प्रबंध कार्यपालक, 30/आवास एवं विकास परिषद, इंदिरा नगर, लखनऊ।

02/12/16
वास्तुविद निरीक्षक/विशेष कार्यवाहिकारी